तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर तामील व इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.3.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील श्री अचलाराम ओगे द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 से 8 की ओर से पेश कर प्रार्थी की आवेदन पत्र पर No Objection किया है। पत्रावली वास्ते शेष विप्रार्थी इंतजारी पेश दिनांक 15.4.2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	Nothing NAN
15.04.2024	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु./पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते शेष विप्रार्थी इंतजार होकर दिनांक 17.05.2024 को पेश है।	
17/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 06 से 08 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहते है,जो विप्रार्थी जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि के संबध में 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवेदन–पत्र पेश किया गया था। प्रार्थी का आवेदन विप्रार्थी संख्या 05 के वारिसान तलबी में विचाराधीन चल रहा था। प्रार्थी के आवेदन–पत्र की न्यायालय हाजा में दिनांक 09.10.2023 को सुनवाई तारीख नियत थी,निर्धारित सुनवाई तारीख को प्रार्थी अधिवक्ता के माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2023 को अदम पैरवी व ... किया गया लेकिन पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी ... आवेदन ... की जानकारी नहीं दी गई तथा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिए जाने पर प्रार्थी द्वारा मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया गया। प्रार्थी के आवेदन	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:14 IST
Reason: SelfAttested

25/2024

खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद अन्दर मयाद जरिए अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि में हित निहित है। माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आवेदन–पत्र पुनः बरामद किया जावें।

विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण एवं मूल आवेदन–पत्र पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया की प्रार्थी का आवेदन दिनांक 09.10.2023 को सुनवाई हेतु नियत था। नियत पेशी तारीख प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। वक्त खारिज के समय प्रार्थी का आवेदन विप्रार्थी संख्या 05 के वारिसान तलबी में विचाराधीन था। प्रार्थी का आवेदन प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज हुआ था। न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न की तकनीकी आधार पर। प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने पर अनापति की गई है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें–आवेदन–पत्र पुनःबरामद किए जाने बाबत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09.10.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का आवेदन संख्या 229/2023 अनवान मंगलसिंह बनाम राज सरकार वगैरह [illegible] पुनः बरामद किया जाता है।

आदेश सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या [illegible] एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:14 IST
Reason: SelfAttested